सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 98 **बी0ई0ओ0 एवं बीडी0ओं को लगा आर्थिक दण्ड**

05/02/2018

पटना–05 फरवरी, 2018 :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0के0 वर्मा ने वाद सं0–96244/13–14, एवं वाद सं0–64569/11–12 के मामले में आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक श्रीकांत कुमार एवं श्री बिपिन कुमार मेहता को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा दिए गए निदेश की अनुपालन नहीं करने के चलते लोक सूचना पदाधिकारी–सह–प्रखंड शिक्षापदाधिकारी, हवेली खड़गपुर, मुंगेर तथा लोक सूचना पदाधिकारी–सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा, मधेपरुा को क्रमशः 2500/– (पचीस हजार) रू0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है साथ ही संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, को फैसले की कॉपी इस आशय के साथ ही भेजी है कि दण्ड राशि की कटौती कर आयोग को अवगत कराया जाय।

ज्ञातव्य है कि उक्त मामलों की अगली सुनवाई क्रमशः दिनांक 03 मई एवं 04 मई, 2018 को साढ़े दस बजे आयोग कार्यालय में होगी।

******